RTI बनाम निजता का अधिकार :

- सैद्धांतिक रूप से RTI और निजता का अधिकार दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं लेकिन इन दोनों में संघर्ष भी देखने को मिलता है।
- RTI के माध्यम से सूचना तक पहुंच को बढ़ावा मिलता है जबकि निजता के अधिकार द्वारा इसे सीमित किया जाता है।
- लेकिन एक ही समय पर इन दोनों के माध्यम से राज्यों की ज्यादती के खिलाफ नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा की जाती हैं।
- जस्टिस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मूल अधिकार है।
- इसीलिए RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचनाओं को उजागर करने के क्रम में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस प्रकार की सूचना से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी।
- निजता का अधिकार पहले से ही विभिन्न अधिनियमों के तहत सुनिश्चित किया गया है जैसे **आधार** (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, **DNA प्रौद्योगिकी** (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2019 इत्यादि।
- जब अधिकारों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तब व्यापक लोक महत्व और लोक नैतिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) 1923:

संदर्भ - भारत सरकार ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का संदर्भ लेकर राफेल डील से संबंधित रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाले प्रकाशन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।

- भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 वायसराय लॉर्ड कर्जन (1899 से 1905) के समय में लागू हुआ।
- इस कानून का तात्पर्य विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में शासन में गोपनीयता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना था।
- इस कानून का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रवादी प्रकाशनों की आवाज को दबाना था।
- भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम ***(1923 की अधिनियम संख्या XIX)*** के द्वारा पूर्व के अधिनियम को स्थानांतरित किया गया और इसे देश में प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में गोपनीयता और विश्वसनीयता तक विस्तारित किया गया।

RTI बनाम आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA) 1923*:*

- हालांकि इन दोनों कानूनों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। RTI अधिनियम के प्रावधान OSA के प्रावधानों के समक्ष अवरोध उत्पन्न करते हैं।